राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रकरण/पार्ट–II/2010 जयपुर, दिनांकः 24 APR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– पूर्व निर्मित सड़कों से मिट्टी हटाने के कार्यो के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पूर्व निर्मित ग्रेवल सड़कों पर से मिट्टी हटाने के बहुत अधिक राशि के काफी कार्य स्वीकृत किये जाने एवं उनके क्रियान्वयन में अनियमितता होने की शिकायतें प्राप्त हुई है। सड़कों पर आई मिट्टी के कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करना कठिन है क्यों कि पहले से ऐसे कार्यो का वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भौतिक रूप से यह भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के कार्य कहां और किस स्थान पर हुए।

अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत पूर्व निर्मित सड़कों से मिट्टी हटाने एवं पटरी (Barms) मरम्मत के कार्यो की स्वीकृति जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, भविष्य में इस प्रकार के कायों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे। इसके साथ ही निर्देश दिये जाते है कि जो कार्य स्वीकृत किये जा चुके है, परन्तु आरम्भ नहीं हुए है एवं जो कार्य आरम्भ हो चुके है लेकिन अधूरे है उन सभी कार्यो की स्वीकृतियां तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जावें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) एवं मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
6. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद, समस्त राजस्थान एवं मुख्यालय।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस